



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262035
CG-DL-E-28032025-262035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 162]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

सा.का.नि. 199(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में समूह 'क' राजपत्रित पद (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक और तकनीकी) नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में समूह 'क' पद के लिए भर्ती पद्धति और सेवा शर्त का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, समूह 'क' राजपत्रित पद (अननुसचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी) नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "नियंत्रण प्राधिकरण" से भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "स्कीम" से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 13 मार्च, 2024 के का.जा. सं. एबी-14017/41/2013-पीपी (आरआर) द्वारा जारी, परिशोधित लचीली पूरक स्कीम (आरएफसीएस) अभिप्रेत है; और

(घ) "वैज्ञानिक पद" से स्कीम में परिभाषित पद अभिप्रेत है।

3. पदों का नाम, वर्गीकरण, और पदों की संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों का नाम, उनका वर्गीकरण, पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वैज्ञानिक 'बी'	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	46	स्तर-10 (56100-177500 रू.)
2	वैज्ञानिक 'सी'		44	स्तर -11,(67700-208700 रू.
3	वैज्ञानिक 'डी'		21	स्तर -12,(78800-209200 रू.)
4	वैज्ञानिक 'ई'		शून्य	स्तर -13,(123100-215900) रू.
5	वैज्ञानिक 'एफ'		02	स्तर-13क, (131100-216600)रू.
6.	वैज्ञानिक 'जी'		01	स्तर -14, (144200-218200) रू.
कुल			114	

टिप्पण.- प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियां पोषक श्रेणी के उन वैज्ञानिकों से पहले भरी जाएंगी, जिन्हें स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए सिफारिश किया जाएगा। यदि स्कीम के अधीन अगली श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार हेतु सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की संख्या, प्रोन्नति श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो पदों की संख्या उस सीमा तक प्रोन्नति श्रेणी में स्वतः रूप से इस शर्त पर उन्नत हो जाएगी, कि सभी श्रेणियों की सम्मिलित स्वीकृत संख्या समान रहे। नौकरी छोड़कर चले जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियां संबंधित वैज्ञानिक या तकनीकी श्रेणी के प्रवेश स्तर की श्रेणी में सामान्यतः प्रत्यावर्तित हो जाएंगी। तथापि, कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, इनमें से कुछ रिक्तियों को प्रवेश स्तर से ऊपर के पदों के लिए, रिक्ति के स्तर के आधार पर तथा समग्र स्वीकृत संख्या के भीतर अलग-अलग अभ्यर्थियों की उच्चतर अर्हताओं और कौशल के अनुरूप, इन नियमों में विहित भर्ती पद्धति द्वारा भरा जा सकता है।

4. भर्ती की पद्धति.- (1) वैज्ञानिक 'बी' से 'जी' तक का पद चयन पद होगा।

(2) वैज्ञानिक 'बी' के पदों को प्रोन्नति से भरने के सिवाय भर्ती के प्रयोजन के लिए पद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

(3) वैज्ञानिक 'बी' के पदों के लिए भर्ती अनुसूची 1 में विहित अनुसार सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा की जाएगी।

(4) प्रत्येक पद या वैज्ञानिक 'बी', 'सी' 'डी' 'एफ' और 'जी' के प्रत्येक मामले में विशिष्ट भर्ती पद्धति नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएगी।

(5) वैज्ञानिक 'सी' 'डी' 'एफ' और 'जी' के पदों पर भर्ती स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) द्वारा की जाएगी जैसा कि अनुसूची 2 में और नीचे के टिप्पण के नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट है। वैज्ञानिक ई के पदों पर भर्ती स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के द्वारा की जाएगी।

(6) प्रत्येक पद के लिए या वैज्ञानिक 'बी', 'सी' 'डी' 'एफ' और 'जी' के पदों पर सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के प्रत्येक मामले में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता और अनुभव की विशेष विद्याशाखाओं या क्षेत्र विभिन्न विद्याशाखाओं के वैज्ञानिकों की उपलब्धता और किसी विशेष विद्याशाखा में वैज्ञानिकों की अतिरिक्त अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और विशेष विद्याशाखा का चयन इन नियमों की अनुसूची 4 और अनुसूची 5 में उल्लिखित विद्याशाखाओं की सूची में से किया जाएगा।

5. प्रोन्नति या उन्नयन.- (1) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' तक की श्रेणी में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' तक की श्रेणी में वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन निम्नलिखित न्यूनतम कार्यकाल और स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अनुपालन के अनुसार होगा।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदनाम	कार्यनिष्पादन संबंधी न्यूनतम कार्यकाल
स्तर-10	वैज्ञानिक बी	-
स्तर-11	वैज्ञानिक सी	वैज्ञानिक-बी के रूप में तीन वर्ष
स्तर-12	वैज्ञानिक डी	वैज्ञानिक-सी के रूप में चार वर्ष
स्तर-13	वैज्ञानिक ई	वैज्ञानिक-डी के रूप में चार वर्ष
स्तर-13क	वैज्ञानिक एफ	वैज्ञानिक-ई के रूप में पाँच वर्ष
स्तर -14	वैज्ञानिक जी	वैज्ञानिक-एफ के रूप में पाँच साल

(3) स्कीम के अधीन, मूल्यांकन के दो स्तर अर्थात्, स्तर-1 छानबीन (आंतरिक छानबीन समिति) और स्तर-2 छानबीन (निर्धारण बोर्ड या विभागीय समकक्ष समीक्षा समिति), होंगे जैसा कि अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है।

(4) निर्धारण वर्ष में दो बार किया जाएगा और उन वैज्ञानिकों के मामलों पर स्कीम के अधीन निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने निर्धारण की अंतिम तारीख अर्थात् यथास्थिति 1 जनवरी या 1 जुलाई, की स्थिति के अनुसार न्यूनतम कार्यकाल अवधि पूरी कर ली है या पूरी कर लेंगे, और जिन्होंने निर्धारण की अंतिम तारीख से पहले की अवधि के लिए न्यूनतम कार्यकाल के वर्षों की संख्या के बराबर या उससे अधिक संख्या में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक प्रदर्शन अंकन रिपोर्ट की संख्या अर्जित की है या अर्जित करेंगे,

(5) जो वैज्ञानिक स्तर-1 छानबीन या स्तर-2 छानबीन में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे, उनका पुनः निर्धारण केवल एक वर्ष के पश्चात् किया जाएगा जब वे कम से कम एक और वार्षिक प्रदर्शन अंकन रिपोर्ट और वार्षिक कार्य रिपोर्ट अर्जित करेंगे और इस तरह के पुनर्निर्धारण के लिए फिर से स्तर-1 और स्तर-2 छानबीन की जाएगी और यह उस चरण से शुरू नहीं होगी जिससे वैज्ञानिक अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे।

(6) अगली श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए स्कीम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया केवल तीन बार संचालित की जाएगी, और उसके पश्चात्, वैज्ञानिक केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए यथा अनुमोदित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन मार्गदर्शन सिद्धांत के अधीन समाविष्ट होंगे और जिस वैज्ञानिक को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अधीन कोई श्रेणी दी गई है, उस पर अगली श्रेणी के लिए विचार किया जा सकता है जैसा कि स्कीम में उपबंधित है।

(7) प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य कर रहे वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा अवधि पर विचार स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन हेतु नहीं किया जाएगा और अनन्य रूप से प्रबंधन या प्रशासनिक कार्य कर रहे वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों पर स्कीम के अधीन प्रोन्नति या उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के अधीन उन्नयन द्वारा केवल लाभ दिया जाएगा।

(8) स्कीम के अधीन अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति या उन्नयन के लिए सिफारिश किए गए वैज्ञानिकों की प्रोन्नति या उन्नयन की तारीख वह होगी जिस तारीख को सक्षम प्राधिकारी ने प्रोन्नति या उन्नयन को अनुमोदित किया था और अवकाशकालीन अधिकारी या संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर के अधिकारी को केवल उस तारीख से प्रोन्नति या उन्नयन दिया जाए, जिस तारीख से वे पुनः कार्य ग्रहण करते हैं या मूल कॉडर में लौटते हैं।

(9) कोई भूतकालीन प्रोन्नति या उन्नयन नहीं होगा।

(10) अनुसंधान और विकास में क्षेत्र अनुभव या वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव, वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन के लिए कम से कम दो वर्ष का अनुभव और वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति या उन्नयन के लिए पांच वर्ष का अनुभव, अनिवार्य होगा।

(11) अवकाश की अवधि, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा आदि पर व्यतीत अवधि को न्यूनतम कार्यकाल की गणना के लिए विचार किया जाएगा जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट है।

(12) इन नियमों में अनुलिखित कोई भी बात स्कीम के उपबंधों द्वारा अभिशासित होगी।

6. वार्षिक प्रदर्शन और अंकन रिपोर्ट एवं वार्षिक कार्य रिपोर्ट.- वैज्ञानिकों को स्कीम में उपबंधित रूपविधान में वार्षिक कार्य रिपोर्ट और वार्षिक प्रदर्शन अंकन रिपोर्ट वार्षिक आधार पर अनिवार्य रूप से भरनी होगी।

7. परिवीक्षा.- (1) वैज्ञानिक-बी श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा या समूह 'बी' वेतनमान से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों की, परिवीक्षा-अवधि दो वर्ष की होगी और सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'सी' श्रेणी में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी और सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक 'डी' 'एफ' और 'जी' की श्रेणी में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए एक वर्ष होगी:

परंतु नियंत्रण प्राधिकारी, परिवीक्षा की अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा:

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाए जाने के लिए कोई भी विनिश्चय पूर्व परिवीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर सामान्यतः किया जाएगा और उसे संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर ऐसा किए जाने के कारणों सहित लिखित में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि के पूरा होने पर यदि वैज्ञानिक को स्थायी नियुक्ति के उपयुक्त समझा गया तो उसे उसकी नियुक्ति में नियमित आधार पर प्रतिधारित किया जाएगा और उसकी पुष्टि उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति पर की जाएगी।

(3) यदि, परिवीक्षा अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो केन्द्रीय सरकार उस वैज्ञानिक को, यथास्थिति, सेवामुक्त या सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसके बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान, सरकार वैज्ञानिक से ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रम कराने और सरकार को उचित प्रतीत हो रही परीक्षा और परीक्षण (हिन्दी में परीक्षा सहित) में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा परिवीक्षा के संतोषप्रद समापन की शर्त के रूप में करेगी।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों की बाबत सेवारत सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा।

8. पुष्टि:- सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिक पदों की पुष्टि विभागीय पुष्टि समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और विभागीय पुष्टि समिति की संरचना में निम्नलिखित होंगे:

(1) वैज्ञानिक 'बी' 'सी' 'डी' और 'एफ' के लिए:

1.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष;
2.	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	सदस्य;
3.	उस प्रभाग का प्रमुख जिसमें संबंधित वैज्ञानिक कार्य कर रहा है या कार्यरत रह चुका है	सदस्य।

(2) वैज्ञानिक 'जी' के लिए:

1.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष;
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहित केन्द्रीय सरकार के किसी भी वैज्ञानिक विभाग का अपर सचिव या समतुल्य।	सदस्य;
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सहित केन्द्रीय सरकार के किसी भी वैज्ञानिक विभाग का ज्येष्ठ वैज्ञानिक (स्तर 15 या उससे ऊपर)।	सदस्य।

9. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके और उन मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

[फा. सं. प्रशा-12018/01/2024-स्थापना-III]

ए. धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

अनुसूची - 1

[नियम 4(3) देखिए]

वैज्ञानिक 'बी' पद के लिए भर्ती

क. सीधी भर्ती:

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:-

(क) अनिवार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक या रसायन या जीव या पृथ्वी-वायुमंडल या पर्यावरण या गणितीय या अभिकलन और सूचना या कृषि विज्ञान या अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा शास्त्र या पशु चिकित्सा विज्ञान या भेषज विज्ञान (न्यूनतम 4 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम) या अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य बैचलर डिग्री।

(ख) वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्था या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान एवं विकास का एक वर्षीय अनुभव।

टिप्पण.- न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (अनिवार्य योग्यता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के साक्ष्य से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी, तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि का, न कि डॉक्टरेट डिग्री का, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-

जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

ख. प्रोन्नति: प्रोन्नति द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति की जानी है -

स्तर-7 के ऐसे कनिष्ठ विश्लेषक (रु. 44900- 142400 या -) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हों।

टिप्पण 1.- इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण करने वाले विद्यमान कनिष्ठ विश्लेषक हेतु पात्रता सेवा तीन वर्ष बनी रहेगी।

टिप्पण 2.- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा कर ली हो।

ग. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियों जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की जाएगी:-

क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या भारत या विदेश स्थित विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्:

- जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या
- जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-9 (रु. 53100-167800/-) या समतुल्य में, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; या
- जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-8 (रु. 47600-151100/-) या समतुल्य में, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो; और

ख. उक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

टिप्पण 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे सिवाय कॉडर बाह्य पद के जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

I. छानबीन और चयन प्रक्रिया- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए, छानबीन और चयन प्रक्रिया नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी। सीधी भर्ती के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो छानबीन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी, जो सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले किसी अभिकरण या संगठन के माध्यम से संचालित की जाएगी।

II. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार किए जाने हेतु) में निम्नलिखित होंगे:-

1	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष;
2	संयुक्त सचिव (प्रशासन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य;
3	वैज्ञानिक एफ या वैज्ञानिक जी, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा नामित व्यक्ति)	सदस्य।

III. संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श प्रोन्नति से भर्ती करने के लिए आवश्यक है।

अनुसूची -2

[नियम 4(5) देखिए]

वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' के पदों के लिए भर्ती

I. वैज्ञानिक 'सी' पदों के लिए

क. सीधी भर्ती-

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(क) अनिवार्य:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक या रसायन या जीव या पृथ्वी-वायुमंडल या पर्यावरण या गणित या अभिकलन और सूचना या कृषि विज्ञान या अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा शास्त्र या पशु चिकित्सा विज्ञान या भेषज विज्ञान (न्यूनतम चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम) या अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य बैचलर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में चार वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री।

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (अनिवार्य योग्यता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के साध्य से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि को, न कि डॉक्टरेट डिग्री, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा:

सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

ख. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या भारत या विदेश स्थित विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानून या स्वायत्त संगठनों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् की जाएगी,-

(क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-10 (रु. 56100-177500/-) या समतुल्य में, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की हो: या

(ख) उक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी

टिप्पण 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे सिवाय कॉडर बाह्य पद के जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

II. वैज्ञानिक 'डी' पदों के लिए

(क) सीधी भर्ती

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक या रसायन या जीव या पृथ्वी-वायुमंडल या पर्यावरण या गणितीय या अभिकलन और सूचना या कृषि विज्ञान या अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या चिकित्सा शास्त्र या पशु चिकित्सा विज्ञान या भेषज विज्ञान (न्यूनतम चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम) या अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट समतुल्य बैचलर डिग्री।

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में आठ वर्ष का अनुभव

(ख) वांछनीय:

i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची V में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री।

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (अनिवार्य योग्यता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के साक्ष्य से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि को, न कि डॉक्टरेट डिग्री, जोड़ा जाएगा।

2. सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा:

सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

ख. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या भारत या विदेश स्थित विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् की जाएगी,-

(क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-11 (रु. 67700-208700/-) या समतुल्य में, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो: या

(ख) उक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी

टिप्पण 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे सिवाय कॉडर बाह्य पद के जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

III. वैज्ञानिक 'एफ' के पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती: -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: -

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट की डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में सोलह वर्ष का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट डिग्री;

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। जिन मामलों में निष्णात डिग्री न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वहाँ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री

(अनिवार्य योग्यता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के साक्ष्य से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि को, न कि डॉक्टरेट डिग्री, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा:

सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पचास वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

ख. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या भारत या विदेश स्थित विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् की जाएगी,-

(क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-13 (रु. 123100-215900/-) या समतुल्य में, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो: या

ख) उक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे सिवाय कॉडर बाह्य पद के जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

IV वैज्ञानिक 'जी' के पदों के लिए:

क. सीधी भर्ती: -

(1) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: -

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट की डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में मास्टर डिग्री

(ii) उद्योग या शैक्षणिक संस्थान या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन में अनुसंधान और विकास में इक्कीस वर्ष का अनुभव।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विकसन, प्रबंधन और निर्देशन का दो वर्ष का अनुभव, और

(iv) प्रकाशित वैज्ञानिक कार्य।

(ख) वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी विद्याशाखा में डॉक्टरेट डिग्री;

टिप्पण: न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं अर्जित करने पर व्यतीत अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट डिग्री (अनिवार्य योग्यता के क्षेत्र में) प्राप्त करने में व्यतीत अवधि, जो कि उस विश्वविद्यालय या संस्थान के साक्ष्य से सत्यापित हो, डॉक्टरेट की डिग्री पूरी होने पर और अधिकतम दो वर्ष की अवधि बीतने पर, अनुभव में जोड़ी जाएगी। यदि डॉक्टरेट डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि किसी भी उद्देश्य के लिए अनुभव में नहीं जोड़ी जाएगी। तथापि, डॉक्टरेट डिग्री (प्रदान की गई डिग्री) प्राप्त करने पर व्यतीत अवधि की समान अवधि के दौरान दो साल से अधिक के पूर्णकालिक नियोजन (नियमित या संविदात्मक) के मामलों में प्राप्त अनुभव, केवल नियोजन अवधि को, न कि डॉक्टरेट डिग्री, जोड़ा जाएगा।

(2) सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा: सीधी भर्ती के लिए, ऊपरी आयु-सीमा पचास वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

ख. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या भारत या विदेश स्थित विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् की जाएगी,-

(क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में स्तर-13क (रु. 131100-216600/-) या समतुल्य में, नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो: या

ख) उक्त पैरा 1(क) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे सिवाय कॉडर बाह्य पद के जिनके लिए वे पोषक प्रवर्ग के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3-प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भारत के गैर-दूरस्थ क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची -3
(नियम 5(3) देखिए)

स्कीम के अधीन निर्धारण प्रक्रिया

1.1 स्तर-1 छानबीन: आंतरिक छानबीन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से या भारत सरकार के किसी वैज्ञानिक विभाग/वैज्ञानिक संगठन से एक ज्येष्ठ वैज्ञानिक	अध्यक्ष;
2.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से या भारत सरकार के किसी वैज्ञानिक विभाग/वैज्ञानिक संगठन से दो वैज्ञानिक	सदस्य;
3.	परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग अथवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से एक वैज्ञानिक.	सदस्य।

टिप्पण 1: उपरोक्त क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 तक के अध्यक्ष और सदस्य, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित होंगे।

टिप्पण 2: साधारणतया, अध्यक्ष उस पद से कम से कम दो स्तर ऊपर होगा जिस पर प्रोन्नति अथवा उन्नयन किया जाना है और उक्त क्रम संख्या 2 और 3 के सदस्य उस पद से कम से कम एक स्तर ऊपर के होंगे जिस पद पर प्रोन्नति अथवा उन्नयन किया जाना है। वैज्ञानिक जी के पद पर प्रोन्नति अथवा उन्नयन के लिए समिति की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के किसी प्रमुख द्वारा की जाएगी और सदस्य, वैज्ञानिक 'जी' स्तर के हो सकते हैं।

टिप्पण 3: आंतरिक छानबीन समिति की कार्यवाही से किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण उक्त समिति की सिफारिशें अमान्य नहीं होंगी।

टिप्पण 4: आंतरिक छानबीन समिति की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की होगी।

टिप्पण 5: आंतरिक छानबीन समिति की सिफारिशें सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वीकृति के अध्याधीन होंगी।

2. स्तर-2 छानबीन

2.1 निर्धारण बोर्ड की संरचना (स्कीम के अधीन असाधारण रूप से मेधावी श्रेणी से भिन्न वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'ई' तक की प्रोन्नति अथवा उन्नयन पर विचार करने के लिए):

1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से बाहर का कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक (चाहे सेवारत हो अथवा सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष;
2.	दो अथवा तीन बाह्य विशेषज्ञ	सदस्य;
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समुचित प्रतिष्ठा वाले एक या दो वैज्ञानिक	सदस्य।

2.2 विभागीय समकक्ष समीक्षा समिति की संरचना (स्कीम के अधीन वैज्ञानिक 'एफ' अथवा वैज्ञानिक 'जी' के पद पर प्रोन्नति अथवा उन्नयन पर विचार करने के लिए):

1.	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष;
2.	अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों अथवा विभागों से दो सचिव	सदस्य;
3.	संबंधित क्षेत्र के दो से तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ, जो अपर सचिव या समकक्ष से अन्यून रैंक के हों।	सदस्य;
4.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि जो वैज्ञानिक 'जी' के लिए अपर सचिव और वैज्ञानिक 'एफ' के लिए संयुक्त सचिव के रैंक के हों।	सदस्य।

अनुसूची 4
(नियम 4(6), अनुसूची 1 और 2 देखें)
विज्ञान अनुशासन

क्र. सं.	अनुशासन	समतुल्य
(1)	(2)	(3)
1.	भौतिक विज्ञान	1. भौतिकी 2. भौतिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) 3. अनुप्रयुक्त भौतिकी 4. ठोस अवस्था भौतिकी 5. कम्प्यूटेशनल भौतिकी 6. इंजीनियरी भौतिकी 7. भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स 8. भौतिकी में विशेषज्ञता के साथ बुनियादी विज्ञान 9. मुख्य विषय के रूप में 'भौतिकी' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सुसंगत विषय
2.	रसायन विज्ञान	1. रसायन शास्त्र 2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 3. अकार्बनिक रसायन विज्ञान 4. विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान 5. भौतिक रसायन विज्ञान 6. अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान 7. रासायन विज्ञान 8. मुख्य विषय के रूप में 'रसायन शास्त्र' के साथ अर्हक डिग्री सहित कोई अन्य सम्बद्ध विषय
3.	जैविक विज्ञान	1. जीवविज्ञान 2. जीवन विज्ञान 3. जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान 4. मुख्य विषय के रूप में 'जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय
4.	भू-वायुमंडलीय विज्ञान	1. भूविज्ञान और भूभौतिकी 2. भूविज्ञान 3. अनुप्रयुक्त भूविज्ञान 4. समुद्री विज्ञान 5. मौसम विज्ञान 6. समुद्र विज्ञान और तटीय क्षेत्र अध्ययन 7. भौतिक समुद्र विज्ञान 8. भू-सूचना विज्ञान 9. समुद्री भूभौतिकी 10. भूविज्ञान और खनिज विज्ञान 11. पृथ्वी विज्ञान

		12. भूभौतिकी 13. अनुप्रयुक्त भूभौतिकी 14. 'भूविज्ञान' में अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विद्याशाखा
5.	पर्यावरण विज्ञान	1. पर्यावरण और पारिस्थितिकी 2. पर्यावरण 3. पारिस्थितिकी 4. मुख्य विषय के रूप में 'पर्यावरण और/या पारिस्थितिकी' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय
6.	गणितीय विज्ञान	1. गणित 2. अनुप्रयुक्त गणित 3. गणित और कंप्यूटिंग 4. गणितीय विज्ञान 5. मुख्य विषय के रूप में 'गणित' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय
7.	कम्प्यूटेशनल और सूचना विज्ञान	1. कम्प्यूटेशनल विज्ञान 2. डेटा विज्ञान 3. सांख्यिकी 4. कम्प्यूटेशनल सांख्यिकी 5. सूचना विज्ञान 6. अनुप्रयुक्त सांख्यिकी 7. क्रिप्टोग्राफी 8. मुख्य विषय के रूप में 'कम्प्यूटेशनल और/या सूचना' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय
8.	कृषि विज्ञान	1. कृषि 2. कृषि भौतिकी 3. कृषि रसायन विज्ञान 4. कृषि इंजीनियरिंग 5. कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान 6. सब्जी विज्ञान 7. मुख्य विषय के रूप में 'कृषि' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय

अनुसूची 5

इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्साशास्त्र अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान या भेषज विज्ञान (न्यूनतम चार वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम)

क्षेत्र	अनुशासन	समतुल्य
(1)	(2)	(3)
इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा अथवा पशु चिकित्सा	1. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी	1. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी 2. इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी 3. इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर इंजीनियरी

विज्ञान या औषधि विज्ञान		<ol style="list-style-type: none"> 4. इलेक्ट्रॉनिकी और नियंत्रण इंजीनियरी 5. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रणाली इंजीनियरी 6. इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी 7. इलेक्ट्रॉनिकी और दूर संचार इंजीनियरी 8. इलेक्ट्रॉनिकी और टेलीमैटिक्स इंजीनियरी 9. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी 10. दूर संचार इंजीनियरी 11. दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी 12. अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिकी और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी 13. इलेक्ट्रॉनिकी और इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरी 14. संचार इंजीनियरी के साथ इलेक्ट्रिकल 15. रेडियो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी 16. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी 17. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी 18. इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी (वैमानिकी) 19. मुख्य विषय के रूप में 'इलेक्ट्रॉनिकी' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विषय
	2. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी	<ol style="list-style-type: none"> 1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी 2. इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरी 3. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी 4. इलेक्ट्रिकल और अक्षय ऊर्जा इंजीनियरी 5. पावर इंजीनियरी 6. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी 7. इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्प्युनिकेशन इंजीनियरी 8. संचार इंजीनियरी के साथ इलेक्ट्रिकल 9. नियंत्रण प्रणाली 10. मुख्य विषय के रूप में 'इलेक्ट्रिकल' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विषय
	3. मैकेनिकल इंजीनियरी	<ol style="list-style-type: none"> 1. मैकेनिकल इंजीनियरी 2. मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरी 3. मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरी 4. मेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी 5. मुख्य विषय के रूप में 'मैकेनिकल' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विषय
	4. उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रोडक्शन इंजीनियरी 2. औद्योगिक उत्पादन इंजीनियरी

		<p>3. उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी</p> <p>4. मुख्य अनुशासन के रूप में 'उत्पादन और औद्योगिक' के साथ अर्हक डिग्री और कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विद्याशाखा</p>
	5. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी	<p>1. कंप्यूटर विज्ञान अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी</p> <p>2. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी</p> <p>3. कंप्यूटर विज्ञान अथवा इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी</p> <p>4. कंप्यूटर विज्ञान और सिस्टम इंजीनियरी</p> <p>5. सॉफ्टवेयर इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी</p> <p>6. कंप्यूटर विज्ञान और ऑटोमेशन इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी</p> <p>7. सूचना प्रौद्योगिकी</p> <p>8. कंप्यूटर विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी और सूचना विज्ञान इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी</p> <p>9. सूचना विज्ञान और इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी</p> <p>10. कंप्यूटर और संचार इंजीनियरी</p> <p>11. कंप्यूटर नेटवर्किंग</p> <p>12. सूचना प्रौद्योगिकी और गणितीय नवोन्मेष</p> <p>13. कृत्रिम बुद्धिमत्ता</p> <p>14. क्वांटम प्रौद्योगिकी</p> <p>15. कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विद्याशाखा जिसमें मुख्य विद्याशाखा के रूप में 'कंप्यूटर' के साथ अर्हक डिग्री हो</p>
	6. द्रव्य इंजीनियरी अथवा पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरी अथवा धातुकर्मीय इंजीनियरी	<p>1. धातुकर्म और सामग्री प्रौद्योगिकी</p> <p>2. धातुकर्म अथवा धातुकर्मीय इंजीनियरी</p> <p>3. द्रव्य इंजीनियरी</p> <p>4. पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरी</p> <p>5. पदार्थ विज्ञान और धातुकर्म इंजीनियर</p> <p>6. मुख्य अनुशासन के रूप में 'सामग्री इंजीनियरी' या 'पदार्थ विज्ञान' या 'धातुकर्म' के साथ अर्हक डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विद्याशाखा</p>
	7. पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी	<p>1. पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी</p> <p>2. ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरी</p> <p>3. पर्यावरण इंजीनियरी</p> <p>4. सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी</p> <p>5. सिविल पर्यावरण इंजीनियरी</p> <p>6. ऊर्जा पर्यावरण और जलवायु</p> <p>7. पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी</p> <p>8. नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरी पर्यावरण</p>

		और जल संसाधन इंजीनियरी 9. कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'पर्यावरण विज्ञान' के साथ योग्यता डिग्री हो
	8. सिविल इंजीनियरी	1. सिविल इंजीनियरी 2. सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरी 3. सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी 4. सिविल और ग्रामीण इंजीनियरी 5. सिविल और जल प्रबंधन इंजीनियरी 6. सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरी 7. निर्माण इंजीनियरी और प्रबंधन 8. कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'सिविल' विषय के साथ योग्यता डिग्री हो
	9. रसायन इंजीनियरी	1. रासायनिक प्रौद्योगिकी 2. रासायनिक प्लांट इंजीनियरिंग 3. अनुप्रयुक्त रासायनिक एवं पॉलिमर प्रौद्योगिकी 4. बहुलक विज्ञान एवं रासायनिक प्रौद्योगिकी 5. रासायनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 6. कोई अन्य सुसंगत इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी विषय जिसमें मुख्य विषय के रूप में 'रासायनिक' विषय के साथ योग्यता डिग्री हो
	10. जैव प्रौद्योगिकी	1. जैव प्रौद्योगिकी 2. जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी 3. जैव सूचना विज्ञान 4. कोई अन्य प्रासंगिक इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी विद्याशाखा जिसमें अर्हक डिग्री हो और मुख्य विद्याशाखा के रूप में जैव प्रौद्योगिकी हो।
	11. औषध विज्ञान	1. फार्माकोलॉजी 2. फार्मैसी 3. औषधीय रसायन विज्ञान 4. फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान 5. मुख्य विषय के रूप में 'फार्मैसी' के साथ योग्यता डिग्री के साथ कोई अन्य सुसंगत विषय
	12. मेडिसिन	'मेडिसिन' में योग्यता डिग्री के साथ कोई भी सुसंगत विषय
	13. पशु चिकित्सा विज्ञान	'पशु चिकित्सा विज्ञान' में योग्यता डिग्री के साथ कोई भी सुसंगत विषय

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2025

G.S.R. 199(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology Group ‘A’ Gazetted Posts (non-ministerial, scientific and technical) Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and the conditions of service to the Group ‘A’ posts in the Department of Science and Technology, namely: —

1. Short-title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Science and Technology Group ‘A’ Gazetted Posts (Non-ministerial, Scientific and Technical) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “controlling authority” means the Government of India in the Department of Science and Technology;
- (b) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
- (c) “Scheme” means the Revised Flexible Complementing Scheme (RFCS) as issued by the Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. AB-14017/41/2013-PP(RR), dated the 13th March, 2024, as amended from time to time; and
- (d) “scientific post” means a post as defined in the Scheme.

3. Name of posts, classification, number of posts and level in pay matrix. - The name of posts, their classification, number of posts and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified under:-

Sl. No.	Name of post	Classification	Number of posts	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Scientist ‘B’	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, (Non- Ministerial, Scientific and Technical)	46	Level-10 (Rs. 56100 - 177500)
2.	Scientist ‘C’		44	Level-11 (Rs. 67700 - 208700)
3.	Scientist ‘D’		21	Level-12 (Rs. 78800- 209200)
4.	Scientist ‘E’		Nil	Level-13 (Rs. 123100- 215900)
5.	Scientist ‘F’		02	Level-13A (Rs. 131100 - 216600)
6.	Scientist ‘G’		01	Level-14 (Rs. 144200- 218200)
	Total		114	

Note.- The vacancies in each grade shall be first filled from the Scientists in the feeder grade who are recommended for promotion to the next higher grade under the Scheme. If the number of Scientists recommended for consideration of promotion to the next grade under the Scheme are more than the number of vacancies available in the promotion grade, then to that extent the number of posts be automatically upgraded to the promotion grade subject to the condition that the combined sanctioned strength of all the grades shall remain the same. Vacancies arising due to attrition shall normally revert to the entry level grade of the respective Scientific or Technical category. However, based on functional needs and with the approval of competent authority, some of these vacancies may be filled by the method of recruitment prescribed in these rules, for the posts above entry level, based on the level of the vacancy and commensurate with the higher qualifications and skills of individual candidates within the overall sanctioned strength.

4. Method of Recruitment. - (1) The posts of Scientists ‘B’ to ‘G’ shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of recruitment, except for filling the posts of Scientist ‘B’ through promotion.

(3) Recruitment for the posts of Scientist ‘B’ shall be made either by direct recruitment or promotion or deputation (including short term contract) as specified in Schedule I.

(4) Particular method of recruitment for each post or each case of Scientist 'B', 'C', 'D', 'F' and 'G' shall be decided by the Controlling Authority from time to time.

(5) Recruitment for the posts of Scientists 'C', 'D', 'F' and 'G' shall be made either by promotion or upgradation under the Scheme or direct recruitment or deputation (including short term contract) as specified in Schedule II and as per Note below rule 3 and recruitment for the posts of Scientist 'E' shall be made by promotion or upgradation under the Scheme.

(6) Particular discipline or field of essential educational qualification and experience for each post or in each case of direct recruitment or deputation (including short-term contract) to the posts of Scientist B, C, D, F and G shall be decided by the controlling authority, keeping in view the availability of Scientists of different disciplines and further requirement of Scientist in a particular discipline and the particular discipline shall be chosen from a list of disciplines mentioned in Schedule IV and Schedule V of these rules.

5. Promotion or upgradation. - (1) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' upto Scientist 'G' shall be as specified under the Scheme.

(2) Promotion or upgradation of Scientists to the grade of Scientist 'C' upto Scientist 'G' shall be as per the minimum residency period indicated below and compliance with other provisions specified in the Scheme.

Level in pay matrix	Designation	Minimum Residency Period linked to Performance
Level-10	Scientist B	Nil
Level-11	Scientist C	Three years as Scientist-B
Level-12	Scientist D	Four years as Scientist -C
Level-13	Scientist E	Four years as Scientist -D
Level-13A	Scientist F	Five years as Scientist -E
Level 14	Scientist G	Five years as Scientist -F

(3) There shall be two level of assessment under the Scheme, namely, Level-1 Screening (Internal Screening Committee) and Level-2 Screening (Assessment Board or Departmental Peer Review Committee), as specified in Schedule III.

(4) The assessment shall be done twice in a year and cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz., 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Reports equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for assessment under the Scheme.

(5) Scientist who does not qualify either in Level-1 Screening or Level-2 Screening shall be re-assessed only after one year when they earn at least one more Annual Performance Appraisal Report and Annual Work Report and such re-assessment would again entail Level-1 and Level-2 Screening and not commence from the stage where the Scientist failed to qualify.

(6) The assessment process under the Scheme for promotion or upgradation to the next grade shall be conducted only thrice, and thereafter, the scientist shall be covered under Modified Assured Career Progress guidelines as approved for Central Government civilian employees and the scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progress may be considered for next grade as provided for in the Scheme.

(7) The period of service of Scientists or Technical experts doing management or administrative work shall not be counted for promotion or upgradation under the Scheme and Scientists or Technical experts doing exclusively management or administrative work shall not be considered for promotion or upgradation under the Scheme and they shall only be given benefit of upgradation under Modified Assured Career Progress.

(8) The date of promotion or upgradation of Scientists recommended for promotion or upgradation to the next higher grade under the Scheme shall be the date on which the competent authority approved the promotion or upgradation and officers on leave or deputation outside the organisation shall be given promotion or upgradation only with effect from the date they rejoin or return to the parent cadre.

(9) There shall be no retrospective promotion or upgradation.

(10) The field experience, in research and development or experience in implementation of scientific projects, of atleast two years for promotion or upgradation to Scientist 'F' and five years for promotion or upgradation to Scientist 'G' shall be essential.

(11) Treatment of period of leave, period spent on deputation or foreign service etc., towards counting of minimum residency period shall be as specified in the Scheme.

(12) Anything not mentioned in these rules shall be governed by provisions of the Scheme.

6. Annual Performance and Appraisal Reports and Annual Work Reports. – The Scientists shall fill up the Annual Work Report and Annual Performance Appraisal Report, in the format provided for in the Scheme, mandatorily on an annual basis.

7. Probation. - (1) The period of probation for Scientists appointed to the grade of Scientist 'B', either by direct recruitment or by promotion from Group 'B' scale, shall be two years and the period of probation shall be two years for Scientists appointed to the grade of Scientist 'C' by direct recruitment and one year for Scientists appointed to the grade of Scientist 'D', 'F' and 'G' by direct recruitment:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Central Government may discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

8. Confirmation. – Confirmation of scientific posts appointed through direct recruitment shall be done by the controlling authority on the recommendations of Departmental Confirmation Committee and the composition of Departmental Confirmation Committee shall be as follows:-

(1) For Scientist 'B', 'C', 'D' and 'F':

1.	Secretary, Department of Science and Technology	Chairperson;
2.	Joint Secretary (Administration)	Member;
3.	Head of Division in which Scientist concerned is working or have worked	Member.

(2) For Scientist 'G':

1.	Secretary, Department of Science and Technology	Chairperson;
2.	Additional Secretary or equivalent from any Scientific Central Government Department including Department of Science and Technology.	Member;
3.	Senior Scientist (level 15 or above) from any Scientific Central Government Department including Department of Science and Technology.	Member.

9. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the scientific posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Department of Personnel and Training and in matters where consultation with the Union Public Service Commission is necessary, in consultation with Department of Personnel and Training and Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F. No. A-12018/01/2024-Estt.III]
DHANALAKSHMI, Jt. Secy.

SCHEDULE I

[See rule 4(3)]

Recruitment for the post of Scientist 'B'

A. Direct Recruitment:

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule IV from a recognised University or Institute;

or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four year degree course) or equivalent as specified in Schedule V from a recognised University or Institute.

(b) Desirable:

(i) Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

(ii) One year experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

Note. - The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of Essential Qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

Note. - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Promotion: In case of recruitment by promotion, grades from which the promotion is to be made.—

Junior Analyst in the level-7 (Rs. 44900- 142400/-) with five years' regular service in the parent cadre or department.

Note 1. - Eligibility service shall continue to be three years in respect of existing Junior Analyst holding the post on regular basis as on the date of notification of these rules.

Note 2. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

C. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which the deputation (including short-term contract) to be made:-

(a.) Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research Institutions in India or abroad,-

- (i) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; or
- (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-9 (Rs. 53100-167800/-) or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-8 (Rs. 47600-151100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b.) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruit in para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

I. Screening and selection process – For deputation (including short term contract), the screening and selection process shall be as specified by the controlling authority. For direct recruitment, if considered necessary, the screening process shall include written test, to be conducted by the Central Government directly or through any agency or organisation having experience and expertise in the area.

II. The Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion) consisting of:

1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission	Chairman;
2.	Joint Secretary (Admn), Department of Science and Technology	Member;
3.	Scientist 'F' or Scientist' G; Department of Science and Technology (to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology)	Member.

III. Consultation with Union Public Service Commission- Consultation with Union Public Service Commission is necessary for recruitment by promotion.

SCHEDULE II

[See rule 4(5)]

Recruitment for the posts of Scientist 'C' to Scientist 'G'

I. For the posts of Scientist 'C':

A. Direct Recruitment:-

(1.) Educational and other qualification required for direct recruits,-

(a) Essential:

(i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule IV from a recognised University or institute;

Or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four year degree course) or equivalent as specified in Schedule V from a recognised University or institute.

(ii) Four years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or Institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short term contract):- In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short-term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level- 10 (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

II. For the posts of Scientist 'D':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits,-

(a) Essential:

(i) Master's Degree in Physical or Chemical or Biological or Earth-atmospheric or Environmental or Mathematical or Computational and Information or Agricultural Sciences or equivalent as specified in Schedule IV from a recognised University or institute;

or

Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four year degree course) or equivalent as specified in Schedule V from a recognised University or institute.

(ii) eight years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(b) Desirable:

Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: -

The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed forty years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short term contract): In case of recruitment by deputation (including short term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 11 (Rs.67700- 208700/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

III. For the posts of Scientist 'F':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

(ii) Sixteen years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Doctorate Degree from a recognised University or Institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification - Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short-term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Governments, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research Institutions in India or abroad,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 13 (Rs. 123100-215900/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2: Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short-term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

IV. For the posts of Scientist 'G':

A. Direct Recruitment: -

(1.) Educational and other qualifications required for direct recruits: -

(a) Essential:

(i) Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Master's Degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

(ii) twenty one years experience in Research and Development in Industry or Academic Institution or Science and Technology Organisation.

(iii) two years of experience in evolving, managing and directing science and technology programme; and

(iv) published research work.

(b) Desirable:

Post Doctorate degree from a recognised University or institute in any of the disciplines specified in Schedule IV;

or

Doctorate Degree from a recognised University or Institute in any of the disciplines specified in Schedule V.

Note: The period spent on obtaining minimum essential educational qualification shall not count towards experience. Only in cases where Master's degree is the minimum essential educational qualification - Period spent on obtaining doctorate degree (in the field of essential qualification) from a recognised University or institute, as evidenced by certification by such University or institute, subject to completion of the doctorate degree and subject to a maximum of two years shall count towards experience. The period spent on pursuing doctorate degree shall not count towards experience for any purpose, if the doctorate degree has not been awarded. However, in cases of full-time employment (regular or contractual) of more than two years during the same period as the period spent on obtaining doctorate degree (degree awarded), experience shall be counted only for the employment period and not for the doctorate degree.

(2.) Age-limit for direct recruits: - The upper age-limit for direct recruitment shall not exceed fifty years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in non-remote areas of India and not the closing date prescribed for the candidates in remote areas i.e. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

B. Deputation (including short-term contract): In case of recruitment by deputation (including short term contract), grades from which deputation (including short term contract) to be made, shall be the Scientists or Technologists of the Central Government, State Government, Union territories, statutory or autonomous organisations, Universities or recognised research Institutions in India or abroad,-

(a.) (i) holding analogous post on regular basis in the present cadre or department, or

(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 13A (Rs.131100-216600/-) or equivalent in the present cadre or department; and

(b.) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under para 1(a) above.

Note 1: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed five years.

Note 2: The departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of promotion or upgradation under the Scheme, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract) except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationist (including those appointed on short term contract) shall not be eligible for consideration for promotions or upgradations under the Scheme.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application for the candidates in non-remote areas of India.

Schedule III

[See rule 5(3)]

Assessment process under the Scheme**Level-1 Screening:** Composition of Internal Screening Committee shall be as under:-

1.	A Senior Scientist from Department of Science and Technology or from any Scientific Department or Scientific organisation under Government of India.	Chairperson;
2.	Two Scientists from Department of Science and Technology or from any Scientific Department or Scientific organisation under Government of India.	Members;
3.	A Scientist from Department of Atomic Energy, Space or Defence Research and Development Organisation.	Member.

Note 1: Chairperson and members at serial numbers 1 to 3 above shall be as nominated by the Secretary, Department of Science and Technology.

Note 2: Generally, the Chairperson would be at least two levels above the post to which the promotion or upgradation is to be done and members at serial numbers 2 and 3 above would be at least one level above the post to which the promotion or upgradation is to be done.

Note 3: Absence of any member from the proceedings of the Internal Screening Committee shall not invalidate the recommendations of the said Committee.

Note 4: The quorum for any meeting of the Internal Screening Committee shall be three, including the Chairperson.

Note 5: The recommendations of Internal Screening Committee shall be subject to acceptance of the Secretary, Department of Science and Technology.

2. Level-2 Screening:

2.1 Composition of Assessment Board (for consideration of promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'C' up to Scientist 'E' otherwise than under Exceptionally Meritorious Category):

1.	An eminent Scientist of repute from outside Department of Science and Technology (whether in service or retired)	Chairperson;
2.	Two or three external experts	Members;
3.	One or two Scientists of Department of Science and Technology of appropriate status	Members.

2.2 Composition of Departmental Peer Review Committee (for consideration of promotion or upgradation under the Scheme to the post of Scientist 'F' or Scientist 'G'):

1.	Secretary, Department of Science and Technology	Chairperson;
2.	Two Secretaries from other Scientific Ministries or Departments	Members;
3.	Two to Three eminent Scientists or Experts in the relevant field, not below the rank of Additional Secretary or equivalent	Members;
4.	Representative of Department of Personnel and Training at the rank of Additional Secretary for Scientist 'G' and Joint Secretary for Scientist 'F'	Member.

Schedule IV

[see rule 4(6), Schedule I and II]

Science disciplines

Sr. No.	Discipline	Equivalent
(1)	(2)	(3)
1.	Physical Sciences	1. Physics 2. Physics (Electronics) 3. Applied Physics 4. Solid State Physics 5. Computational Physics 6. Engineering Physics 7. Physics and Electronics 8. Basic Sciences with specialisation in Physics 9. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Physics' as the main discipline
2.	Chemical Sciences	1. Chemistry 2. Organic Chemistry 3. Inorganic Chemistry 4. Analytical Chemistry 5. Physical Chemistry 6. Applied Chemistry 7. Chemical Sciences 8. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Chemistry' as the main discipline
3.	Biological Sciences	1. Biology 2. Life Sciences 3. Biotechnology Sciences 4. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Biology or Biotechnology' as the main discipline
4.	Earth-atmospheric Sciences	1. Geology and Geophysics 2. Geology 3. Applied Geology 4. Marine Sciences 5. Meteorology 6. Oceanography and Coastal area studies 7. Physical oceanography 8. Geo-informatics 9. Marine Geophysics 10. Geology and Mineralogy 11. Earth Sciences 12. Geophysics 13. Applied Geophysics 14. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Geology and/or Geophysics' as the main discipline
5.	Environmental Sciences	1. Environment and Ecology 2. Environment 3. Ecology 4. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Environment and/or Ecology' as the main discipline
6.	Mathematical Sciences	1. Mathematics 2. Applied Mathematics

		3. Mathematics and Computing 4. Mathematical Sciences 5. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Mathematics' as the main discipline
7.	Computational and Information Sciences	1. Computational Science 2. Data Science 3. Statistics 4. Computational Statistics 5. Information Science 6. Applied Statistics 7. Cryptography 8. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Computational and/or Information' as the main discipline
8.	Agricultural Sciences	1. Agriculture 2. Agricultural Physics 3. Agricultural Chemistry 4. Agricultural Engineering 5. Agricultural Microbiology 6. Vegetable Science 7. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Agriculture' as the main discipline

Schedule V

Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences (minimum four year degree course)

Field (1)	Discipline (2)	Equivalent (3)
Engineering or Technology or Biotechnology or Medicine or Veterinary Sciences or Pharmaceutical Sciences	1. Electronics and Communication Engineering	1. Electronics and Communication Engineering 2. Electronics Engineering 3. Electronics and Computer Engineering 4. Electronics and Control Engineering 5. Electronics and Communication System Engineering 6. Electronics and Instrumentation Engineering 7. Electronics and Tele-Communication Engineering 8. Electronics and Telematics Engineering 9. Industrial Electronics Engineering 10. Tele Communication Engineering 11. Telecommunication and Information Technology 12. Applied Electronics and Instrumentation Engineering 13. Electronics and Electrical Communication Engineering 14. Electrical with Communication Engineering 15. Radio Physics and Electronics 16. Electrical Engineering 17. Electrical and Electronics Engineering 18. Electronics and Communication Engineering (Avionic s)

		19. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Electronics' as the main discipline
	2. Electrical Engineering	1. Electrical Engineering 2. Electrical Power System Engineering 3. Electrical and Electronics Engineering 4. Electrical and Renewable Energy Engineering 5. Power Engineering 6. Power Electronics Engineering 7. Electronics and Electrical Communications Engineering 8. Electrical with Communication Engineering 9. Control System 10. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Electrical' as the main discipline
	3. Mechanical Engineering	1. Mechanical Engineering 2. Mechanical and Automation Engineering 3. Mechanical and Production Engineering 4. Mechatronics Engineering 5. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Mechanical' as the main discipline
	4. Production and Industrial Engineering	1. Production Engineering 2. Industrial Production Engineering 3. Production and Industrial Engineering 4. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Production and Industrial' as the main discipline
	5. Computer Science and Engineering	1. Computer Science or Engineering or Technology 2. Computer Science and Engineering or Technology 3. Computer Science or Engineering and Information Technology 4. Computer Science and System Engineering 5. Software Engineering or Technology 6. Computer Science and Automation Engineering or Technology 7. Information Technology 8. Computer Science or Technology and Informatics Engineering or Technology 9. Information Science and Engineering or Technology 10. Computer and Communication Engineering 11. Computer Networking 12. Information Technology and

		<p>Mathematical Innovations</p> <p>13. Artificial Intelligence</p> <p>14. Quantum Technology</p> <p>15. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Computer' as the main discipline</p>
	6. Material Engineering or Material Science and Engineering or Metallurgical Engineering	<p>1. Metallurgy and Material Technology</p> <p>2. Metallurgy or Metallurgical Engineering</p> <p>3. Materials Engineering</p> <p>4. Material Science and Engineering</p> <p>5. Material Science and Metallurgical Engineering</p> <p>6. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Material Engineering' or 'Material Science' or 'Metallurgy' as the main discipline</p>
	7. Environmental Science and Engineering	<p>1. Environmental Science and Engineering</p> <p>2. Energy and Environmental Engineering</p> <p>3. Environmental Engineering</p> <p>4. Civil and Environmental Engineering</p> <p>5. Civil Environmental Engineering</p> <p>6. Energy Environment and Climate</p> <p>7. Environmental Science and Technology</p> <p>8. Renewable Energy and Environmental Engineering Environmental and water resources Engineering</p> <p>9. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Environmental Science' as the main discipline</p>
	8. Civil Engineering	<p>1. Civil Engineering</p> <p>2. Civil and Structural Engineering</p> <p>3. Civil and Environmental Engineering</p> <p>4. Civil and Rural Engineering</p> <p>5. Civil and Water Management Engineering</p> <p>6. Civil and Infrastructure Engineering</p> <p>7. Construction Engineering and Management</p> <p>8. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Civil' as the main discipline</p>
	9. Chemical Engineering	<p>1. Chemical Technology</p> <p>2. Chemical Plant Engineering</p> <p>3. Applied Chemical and Polymer Technology</p> <p>4. Polymer Science and Chemical Technology</p> <p>5. Chemical Science and Technology</p> <p>6. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Chemical' as the main discipline</p>
	10. Biotechnology	1. Biotechnology

		2. Biochemical Technology 3. Bioinformatics 4. Any other relevant Engineering or Technology discipline with qualifying degree with 'Biotechnology' as the main discipline
	11. Pharmaceutical Sciences	1. Pharmacology 2. Pharmacy 3. Medicinal Chemistry 4. Pharmaceutical Chemistry 5. Any other relevant discipline with qualifying degree with 'Pharmacy' as the main discipline
	12. Medicine	Any relevant discipline with qualifying degree in 'Medicine'
	13. Veterinary Sciences	Any relevant discipline with qualifying degree in 'Veterinary Sciences'